झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
एकादश (शीतकालीन)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 13.12.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	पलामू अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला है, राज्य के अनुसूचित जाति के कुल आबादी का 25 प्रतिशत पलामू में निवास करती है। यहाँ अनुसूचित जाति की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों को रोजगार का अवसर अप्राप्त है। समाज के आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर पलामू जिले के अनुसूचित जाति के सदस्यों को आर्थिक विकास कर उनके जीवन स्तर को ऊपर ले जानेवाली सभी सरकारी योजनाओं की गति मंथर है। फलस्वरूप उन्हें वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना तथा विशेष अंगीभूत की राशि की उपलब्धता नगण्य है। अनुसूचित जाति की शिक्षित युवक, युवतियों को उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई पड़ता है और वे भटकाव की स्थिति में हैं। पलामू जिले में विशेष अंगीभूत की राशि से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता तथा अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही केन्द्र एवं राज्य स्तरीय विकास की योजनाओं को मूर्त्त रूप देने के लिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ	कल्याण विभाग

01.	02.	03.	04.
02	श्री आलमगीर आलम स0वि0स0	कृपया विदित हो कि राज्य के सभी जिलों में सभी श्रेणी के +2 विद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षकों की कमी है, जबकि वर्णित विद्यालयों में उर्दू भाषा-भाषी छात्र/छात्रा अध्ययनरत है। ज्ञात हो कि इण्टरमिडिएट वार्षिक परीक्षा- 2017 में उर्दू विषय के 9529 छात्र शामिल हुए जिनमें 7456 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। परन्तु सभी श्रेणी के +2 विद्यालयों में उर्दू विषय का पद सृजन नहीं किये जाने के कारण स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2017 मे विभिन्न विषयों के शिक्षक बहाली के लिए दिनांक 23.11.17 को झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0-10/2017 मे उर्दू विषय के शिक्षक का पद नहीं दिया गया है, जिससे उर्दू विषय के योग्य अभ्यार्थी उक्त शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने से वंचित है। अतः सभी जिलों मे सभी श्रेणी के +2 विद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सभी श्रेणी के +2 विद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षक का पद सृजन कर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2017 में उर्दू विषय के शिक्षक की भी बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन में आवश्यक संशोधन करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
03-	सर्वश्री भानू प्रताप शाही, सत्येन्द्र नाथ तिवारी एवं श्री देवेन्द्र सिंह स0वि0स0	कनहर (बराज) डैम झारखण्ड राज्य के महत्वकांक्षी परियोजना 1975 से लंबित है। 42 वर्ष से राज्य सरकार डी0पी0आर0 1975, 1977, 1980 प्रत्येक 5 वर्ष में जल आयोग को राज्य सरकार द्वारा भेजती रही है। परन्तु छत्तीसगढ़ के विरोध के बाद केन्द्रीय जल आयोग मुकदर्शक बनी रही। प्रत्येक वर्ष गढ़वा जिला में सुखा पड़ने के कारण किसानों को भारी नुकसान होते रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के आपत्ति को देखते हुए वर्ष 2009 में किसानों के सलाह से जन याचिका उच्च न्यायालय, राँची में कनहर डैम के जगह कनहर बजार के नाम से दाखिल की गई। जिसमें भारत सरकार, झारखण्ड सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार को पार्टी बनाई गई है। हाई पॉवर कमिटी के सुझाव पर टेण्डर आमंत्रित किया गया, दिल्ली के पार्टी को टेण्डर मिला और डी0पी0आर0 बना कर केन्द्रीय जल आयोग को दे दिया गया है। डी0पी0आर0 को जाँच करने के उपरांत 2 माह के अन्दर केन्द्रीय जल आयोग झारखण्ड सरकार को भेज देगी। अतः मैं इस परियोजना को चालू वित्तीय वर्ष में सम्मिलित कर गढ़वा जिला के किसानों को समुचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं।	जल संसाधन

01.	02.	03.	04.
04-	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता स०वि०स०	पलामू जिलान्तर्गत बटने जलाशय, योजना को पूर्ण हुए कई वर्ष बितने के बावजूद अभी तक किसानों को समुचित लाभ नही मिल पा रहा है इसका मुख्य कारण मेनगेट को स्थानीय लोगों के द्वारा मेनगेट उठाकर वैलडिंग कर दिया गया है। अतः मैं ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से इसी सत्र में अवरोध समाप्त कर अतिशीघ्र समाधान करने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	जल संसाधन
05-	श्री संजीव कुमार सिंह एवं श्री केदार हजरा स०वि०स०	Civil Appeal No. 213 of 2013 State of Punjab & ors. V/s Jagjit Singh & ors. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक- 26.10.16 को पारित न्यायादेश में समान कार्य के बदले समान वेतन के सिद्धांत पर झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, बोर्ड व निगम में अनुबंध, दैनिक, पारिश्रमिक तदर्थ रूप से काम करने वाले अस्थायी कर्मियों को भी स्थायी कर्मी के समतुल्य वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया गया, परन्तु आजतक राज्य सरकार द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा, जो एक कल्याणकारी राज्य के सम्मुख विशिष्ट समस्या है। उक्त वर्णित कार्यालयों में कार्यरत इस आदेश के बाद भी आजतक इस समस्या का निदान नहीं हो सका है, जबकि स्थायी राज्य कर्मियों से भी ये ज्यादा कार्य अपने विभाग में वर्षों से करते आ रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह माँग करता हूँ कि उक्त वर्णित तथ्यों पर सरकार विचार कर उन सभी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेशानुसार समान कार्य के लिए समान वेतन कर्मियों को दिलाने की कार्रवाई करे, जिस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं।	योजना-सह वित्त

राँची,
दिनांक- 13 दिसम्बर, 2017 ई०।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ०पृ०उ०

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-59/2017-2849/वि0 स0, राँची, दिनांक-12/12/17

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ कल्याण विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/जल संसाधन विभाग एवं योजना सह- वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-59/2017-2849/वि0 स0, राँची, दिनांक-12/12/17

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

12.12.17